



No. F 7 ( ) Research/RUHS/2020/ 9952

Date: 15/9/2020

सर्वोच्च प्राथमिकता देवें

### कार्यालय आदेश

ARDU एवं Executive Committee (Research Projects) की बैठक दिनांक 20.08.2020 में लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित रिसर्च प्रोजेक्ट्स के पी.आई. (Principal Investigator) को निर्देशित किया जाता है कि रिसर्च प्रोजेक्ट के संबंध में जारी विश्वविद्यालय की Guidelines for the operation of Projects funded by RUHS (विश्वविद्यालय की वेबसाइट [https://www.ruhsraj.org/research/research\\_projects](https://www.ruhsraj.org/research/research_projects) पर सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध है) एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई स्वीकृती के संबंध में जारी कार्यालय आदेश में उल्लेखित समस्त शर्तों/नियमों की पालना और समय-समय पर विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रारूप में वांछित दस्तावेजों को उचित माध्यम द्वारा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने की समस्त जिम्मेदारी रिसर्च प्रोजेक्ट के Principal Investigator की है। उक्त के संबंध में विश्वविद्यालय से भविष्य में कोई पत्राचार अपेक्षित नहीं है। और भविष्य में रिसर्च प्रोजेक्ट के संबंध में कोई विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी पी.आई. की है।

यदि पी.आई. के द्वारा Scientific Work को पूर्ण करके उस रिपोर्ट के साथ विश्वविद्यालय में उस रिसर्च प्रोजेक्ट का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित दस्तावेजों को निर्धारित समय पर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो नियमानुसार वह प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं माना जावेगा और विश्वविद्यालय द्वारा उसकी रिपोर्ट भी स्वीकार नहीं की जावेगी। यदि भविष्य में किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट पर कोई ऑडिट पैरा बनता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित पी. आई. की होगी।

No. F 7 ( ) Research/RUHS/2020/ 9953-61  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, राज. स्वा. वि. वि., जयपुर।
2. निजी सहायक, वित्त अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर।
3. वाईस डीन, एकेडमिक एवं रिसर्च, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर।
4. लेखाधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक.....
6. विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित रिसर्च प्रोजेक्ट के पी.आई.....
7. नोडल अधिकारी, वेबसाइट, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव  
Date: 15/9/2020

प्रभारी अधिकारी  
(रिसर्च अनुभाग)